

9.9.25 पयावली पेत्री में ली गई अप्रार्थि सं. 1,2  
की ओर से अधिवक्ता मदन मूण्ड ने  
वकासतनामा पेश किया। उभयपक्ष से  
सुना गया। शर्तों पर स्वीकार कर  
स्थगन दिनांक 24.6.25 को ता-फैसला  
वाद के confirm किया जाता है  
पयावली नेबर से कम की जाकर  
दाखिल दफ्तर की जाती है। आदेश  
सुनाया गया।

1/10/25  
सहायक फोरमलर  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ़